उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-141/2019/2363/92-2-2019-65एम/2019

लखनऊ :: दिनांक:: 17 अक्टूबर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

सांसद निधि योजनान्तर्गत मा0 श्रीमती मेनका गांधी, पूर्व सांसद आवला की निधि से ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को स्वीकृत 14 कार्यो के निर्माण कार्यों तथा टेण्डर प्रक्रिया की जांच आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 ग्राम्य विकास विभाग, बरेली मण्डल, बरेली से करायी गयी। टी0ए0सी0 की जांच में 11 निर्माण कार्यों में कुल रू0 2,96,734.00 की शासकीय क्षति परिलक्षित हुई जिसके लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एस0के0 गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बदांयू के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल आगरा को जॉच अधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बदांयू को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जांच की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करते हुए जांच आख्या शासन मे तत्काल उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-141/2019/2363(1)/92-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को निदेशालय के पत्र संख्या-जी-728/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/शिका0पत्र/पत्रां0सं0-71/2019-20, दिनांक 03.09.2019 के क्रम मे इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में अरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जांचअधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल आगरा ।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बदांयू।

4- श्री एस0के0 गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बदांयू द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अवध नारायण)

उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in